"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2012—माघ 21, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गजेन्द्र वर्मा आत्मज स्व. बंशीलाल वर्मा, उम्र 42 साल, निवासी - ग्राम व पोस्ट-देवादा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा घरेलू नाम गज्जु वर्मा आत्मज स्व. बंशीलाल वर्मा दर्ज है, को परिवर्तित कर मैं अपना सही नाम गजेन्द्र वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे गजेन्द्र वर्मा आत्मज स्व. बंशीलाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
गज्जु वर्मा आत्मज-स्व. बंशीलाल वर्मा निवासी-ग्राम व पोस्ट-देवादा तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	गजेन्द्र वर्मा आत्मज-स्व. बंशीलाल वर्मा निवासी-ग्राम व पोस्ट-देवादा तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति रितिका जैन धर्मपत्नि श्री प्रमोद कुमार जैन, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी - 49, वर्धमान नगर, राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं कुमारी राधा गुप्ता पिता स्व. सत्यनारायण गुप्ता, निवासी - वार्ड नं. 7, मेनरोड, बाराद्वार, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.) के नाम से जानी, पहचानी जाती थी, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 03-06-2011 को श्री प्रमोद कुमार जैन आ. सम्पत लाल जैन, निवासी-49, वर्धमान नगर, राजनांदगांव के साथ सम्पन्न हुआ तथा विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमंति रितिका जैन धर्मपत्नि श्री प्रमोद कुमार जैन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमति रितिका जैन धर्मपत्नि श्री प्रमोद कुमार जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कुमारी राधा गुप्ता पिता-स्व. सत्यनारायण गुप्ता निवासी-वार्ड नं. 7, मेनरोड, बाराद्वार जिला- जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	श्रीमति रितिका जैन धर्मपत्नि-श्री प्रमोद कुमार जैन निवासी-49, वर्धमान नगर, राजनांदगांव जिला- राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मिश्रा चंद्रप्रकाश सियाराम आत्मज श्री सियाराम मिश्रा, उम्र 36 वर्ष, निवासी - आर. ई. एस. कालोनी, भानुप्रतापपुर थाना व तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं छत्तीसगढ़ शासन के अन्तर्गत पशुधन विकास विभाग में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर भानुप्रतापपुर में पदस्थ हूं

यह कि मेरी सम्पूर्ण शिक्षा मुम्बई (महाराष्ट्र) में सम्पन्न हुई है. महाराष्ट्र शासन अन्तर्गत समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में सरनेम प्रथम अंकित किया जाता है तत्पश्चात् नाम व पिता का नाम अंकित किया जाता है. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम मिश्रा चंद्रप्रकाश सियाराम अंकित है.

यह कि मेरे शासकीय सेवा के समस्त दस्तावेजों यथा सर्विस बुक, जी. पी. एफ. पासबुक, बैंक पासबुक एवं अन्य शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम चंद्रप्रकाश मिश्रा पिता श्री सियाराम मिश्रा दर्ज है को सुधार कर मिश्रा चंद्रप्रकाश सियाराम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मिश्रा चंद्रप्रकाश सियाराम आत्मज श्री सियाराम मिश्रा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
Dr. Chandra Prakash Mishra S/o Shri Siyaram Mishra R/o R. E. S. Colony, QTR F-3 Salihapara, Block Bhanupratappur Dist-Kanker (C. G.)	Dr. Mishra Chandra Prakash Siyaram S/o Shri Siyaram Mishra R/o R. E. S. Colony, QTR F-3 Salihapara, Block Bhanupratappur Dist-Kanker (C. G.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 16 जनवरी 2012

प्ररूप क्रमांक -04
[देखें नियम-5 (1)]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग, जिला दुर्ग के समक्ष

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

क्रमांक क्यू/प्र.2/अ. वि. अ./2012.— यत: कि श्री तरूण कुमार घोष आ. स्व. श्री ए. के. घोष, चेयरमेन श्री सांईबाबा संस्थान ट्रस्ट, हुडको भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग द्वारा छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 17-02-2012 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री सांईबाबा संस्थान ट्रस्ट हुडको द्वारा-श्री तरूण कुमार घोष निवासी एम. आई. जी.-1/653 आमदीनगर, हुडको भिलाई तहसील व जिला दुर्ग.
2.	चल संपत्ति	:	50,000.00 नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

जी. आर. मोरे,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, कवर्धा (छ. ग.)

कवर्धा, दिनांक 13 जनवरी 2012

प्ररूप क्रमांक -04
[देखें नियम-5 (1)]

लोक न्यासों के पंजीयक कबीरधाम जिला के समक्ष

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1)]

क्रमांक 187/अ. वि. अ./प्रवा. 1/2011.--- यत: कि कृष्णा एजुकेशन ट्रस्ट, हाऊस नं. 171 मारूति वार्ड, कवर्धा के कार्यकारी न्यासी श्री विनय केशरवानी आ. दुर्गेश केशरवानी, निवासी मारूतिवार्ड कवर्धा, तहसील कवर्धा ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 45 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : कृष्णा एजुकेशन ट्रस्ट, हाऊस नं. 171 मारूतिवार्ड, कवर्धा

ट्रस्टियों की संख्या :-

1. विकास केशरवानी, निवासी हाउस नं. 171, मारूतिवार्ड क्रमांक-11 कवर्धा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम.
2. विनय केशरवानी, निवासी हाउस नं. 171, मारूतिवार्ड क्रमांक-11 कवर्धा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम.
3. दुर्गेश केशरवानी, निवासी हाउस नं. 171, मारूतिवार्ड क्रमांक-11 कवर्धा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम.
4. पवन केशरवानी, मेन रोड पेंड़ी, तहसील--बोड़ला, जिला कबीरधाम.
5. राजेन्द्र सिंह ठाकुर, शक्ति वार्ड कवर्धा, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम.

लोक न्यास की सम्पति का विवरण

दिनांक 30-12-2011 की स्थिति में चल सम्पत्ति 1,00,000.00 अक्षरी एक लाख रुपये है.

अचल सम्पत्ति : अचल सम्पत्ति के ब्यौरे ग्राम या कस्बा जहां यह अवस्थित है दर्शित करते हुए नगरपालिका या भूमि खसरा क्रमांक निर्धारण और अवधि के विवरण समेत जिस पर धारित हो (सम्पतियों) के संबंध में अधिकारी अभिलेख या नगरपालिका अभिलेख की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न नहीं है अर्थात् कोई अचल सम्पत्ति नहीं है.

लोक न्यास का उद्गम 1 नवम्बर 2011 है प्रक्रम और उद्देश्य-

शैक्षणिक संस्था के संचालन एवं उन्नयन, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक निधि की पूर्ति बौद्धिक विकास के प्रत्येक पहलू पर ध्यान देते हुए अध्यापन की व्यवस्था आधुनिक शिक्षा पद्धति के विकास एवं प्रचार करना है, इस संस्था की आय और दानमित्रों एवं रिश्तेदारों से प्राप्त आय.

न्यास के आय के स्त्रोत :- न्यासियों एवं दान दाताओं से प्राप्त दान की राशि

औसत सकल वार्षिक आय :- वर्तमान में कुछ नहीं परन्तु भवन निर्माण के बाद 1,00,000/- वार्षिक.

विल्लगम :- कुछ नहीं

एम. डी. तिगाला,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

प्रकरण क्र. 01/ब-113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /115/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012/191.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ. जवाहर अग्रवाल पिता स्व. मोतीलाल अग्रवाल, निवासी ममता कालोनी, रायपुर ने हेलो डॉक्टर क्लब पब्लिक ट्रस्ट, लाईफवर्थ हास्पिटल केम्पस, समता कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर के नाम से छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाया गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 17-02-2012 तक उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"हेलो डॉक्टर क्लब पब्लिक ट्रस्ट" लाईफवर्थ हास्पिटल केम्पस, समता कालोनी, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	7,000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 13-01-2012 को जारी.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

प्रकरण क्र./04/ ब-113 (1)/ वर्ष 2008-09

क्रमांक/117/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2011/189.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राधेश्याम विभार आत्मज श्री रघु विभार, निवासी डब्ल्यू. आर. एस. कालोनी, रायपुर ने श्री श्री शिर्डी सांई बाबा (मंदिर) सेवा समिति, डब्ल्यू. आर. एस. कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर द्वारा छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 17-02-2012 उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री श्री शिर्डी सांई बाबा (मंदिर) सेवा समिति, डब्ल्यू. आर. एस. कालोनी, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	10,000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 13-01-2012 को जारी.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2012

प्रकरण क्र. अपंजीकृत/ ब-113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक/118/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012/188.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री संतोष कुमार जैन द्वारा सवानी गोलछा परिवार ट्रस्ट, न्यास चेरीटेबल ट्रस्ट, सौरभ सदन, बैरनबाजार रायपुर, तहसील व जिला रायपुर ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 24-02-2012 तक उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	सवानी गोलछा परिवार ट्रस्ट, न्यास चेरीटेबल ट्रस्ट, सौरभ सदन, बैरनबाजार, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	21,000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18-01-2012 को जारी.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2012

प्रकरण क्र./ ब -113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /116/अ: वि. अ./ट्रस्ट/2012/190.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री किशरोद कुमार रावत पिता भगवान रावत, निवासी आनंद निकेतन 101 अवंति विहार, रायपुर ने फेथ हारवेस्ट एज्यूकेशन एवं चेरिटी ट्रस्ट, मकान नं. 101 आनंद निकेतन अवंति विहार, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर द्वारा छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 24-02-2012 उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	फेथ हारवेस्ट एज्यूकेशन एवं चेरिटी ट्रस्ट, मकान नं. 101, आनंद निकेतन, अवंति विहार, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	5,000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20-01-2012 को जारी.

एस. के. अग्रवाल,
पंजीयक.

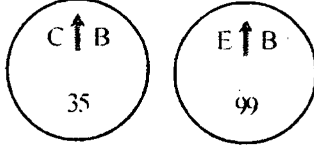
अन्य सूचनाएं

संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ. ग.)

जगदलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्रमांक /32.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में अंकित आकृति का बीट हेमर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पार्क परिक्षेत्र कोलेंग के अंतर्गत पूर्व पुलचा परिसर हेमर क्रमांक 99 E B तथा पश्चिम पुलचा परिसर हेमर क्रमांक 35 CB प्रदाय किया गया था, जो नक्सलियों द्वारा दिनांक 20-10-2011 को नेतानार में शासकीय संपत्तियों की तोड़ फोड़ एवं शासकीय सामग्रियों को नुकसान पहुंचाया गया एवं इस घटना के उपरांत उपरोक्त दोनों बीट हेमर नहीं मिल रहे हैं. जिसकी सूचना पुलिस थाना दरभा में दर्ज करा दी गई है. अत: वन वित्तीय अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये उक्त बीट हेमर भंडार से अपलेखित किया जाता है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हेमर मिले तो वह अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त हेमर का उपयोग करते पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा - 63 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जायेगा तथा नियमानुसार वह दण्ड का भागी होगा.



अनुराम श्रीवास्तव,
संचालक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

क्रमांक/परिसमापन/2012/168.— प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., तखतपुर, पं. क्र. 3380 दिनांक 25-02-1991 को श्री ऋषि कुमार ध्रुव सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी सस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.) द्वारा पुनर्जीवित किये जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया है. जिसमें समिति के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक दिनांक 24-12-2011 को की गई है, कि संस्था को पुनर्जीवित किया जा कर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करेगी. तत्संबंध में श्री आडूराम देवांगन, अध्यक्ष प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., तखतपुर ने स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है. 01 से 03 बिन्दुओं में कार्य योजना प्रस्तुत किया गया है. अत: सदस्यों के हित में श्री ऋषि कुमार ध्रुव सहकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह (सी) दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., तखतपुर, पं. क्र. 3380 दिनांक 25-02-1991 विकासखण्ड-तखतपुर, जिला-बिलासपुर को पुनर्जीवित करता हूं एवं आगामी 06 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तात्कालिक संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

एन. कुजुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.